झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

:: संकल्प ::

राँची, दिनांक.........................

संख्या :– 8/आरोप–12/2017 का० ..../चूँकि झारखण्ड राज्यपाल को ऐसा प्रतीत होता है कि झारखण्ड सचिवालय सेवा के **श्री विजय कुमार भगत, तत्कालीन अवर सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग सम्प्रति–उप सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची** के विरूद्ध वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्रांक–2534 दिनांक–16.06.2017 द्वारा प्रशासी विभाग की संचिका भा०व०से० (आ0)–133/2003 को ढाई साल से अधिक अवधि तक दबाकर रखने संबंधी प्रतिवेदित आरोप प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित है।

2. श्री भगत, तत्कालीन अवर सचिव के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप उनके द्वारा समर्पित बचाव–बयान एवं प्रशासी विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन की समीक्षोपरांत श्री भगत के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु **श्री रमाकान्त सिंह, भा०प्र०से० (सेवानिवृत्त), विभागीय जाँच पदाधिकारी** को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन में सरकार के तरफ से आरोपों के समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए **श्री सुनील कुमार, अवर सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची** को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाए तथा इसकी प्रति संचालन पदाधिकारी, उपस्थापन पदाधिकारी एवं आरोपी पदाधिकारी को भेजी जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(रंजीत कुमार लाल)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 8/आरोप–12/2017 का०......................../ राँची, दिनांक............................

प्रतिलिपि :– श्री रमाकान्त सिंह, विभागीय जाँच पदाधिकारी, टी०ए० डिविजन भवन, धुर्वा, राँची को प्रपत्र–'क' में गठित आरोप–पत्र एवं साक्ष्य अभिलखों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि उक्त विभागीय कार्यवाही ससमय निष्पादित करते हुए जाँच प्रतिवेदन इस विभाग में शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

अनु० :– यथोक्त।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 8/आरोप–12/2017 का॰........................./ राँची, दिनांक................................

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

2. श्री सुनील कुमार, अवर सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची को सुसंगत अभिलेखों सहित आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु० :– यथोक्त।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 8/आरोप–12/2017 का॰ 3710 / राँची, दिनांक 28/06/23

प्रतिलिपि :– सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची/~~ई-नोडल~~ पदाधिकारी, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

2. श्री विजय कुमार भगत, उप सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सुसंगत अभिलेखों सहित आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु० :– यथोक्त।

28/06/23

सरकार के संयुक्त सचिव।